08/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०।
प्रार्थी द्वारा ग्राम मालनू के खसरा नं. 767/717 में सिंचाई हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु आवेदन किया है। उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। जो एक विभागीय सम्पति है। वन विभाग स्वयं निर्धारित नियम व प्रक्रियानुसार आवेदन करने पर व्यक्ति या संस्था को वन भूमि में से वृक्ष कटाई, जोत करने, भूमिगत पाईप लाईन बिछाने आदि हेतु अनुमति जारी करता है। अत: प्रार्थी वन विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए वन विभाग से भूमिगत पाईप लाईन डालने हेतु अनुमति प्राप्त करें। अत: प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner